-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 19.03.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **थाना कमासिन पुलिस द्वारा गिरोह बनाकर वाहन चोरी करने वाले गैंगस्टर एक्ट के वांछित अभियुक्त (गैंग सदस्य) को किया गया गिरफ्तार।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु की जा रही कार्यवाही के क्रम में थाना कमासिन पुलिस द्वारा गिरोह बनाकर वाहनों की चोरी करने वाले गैंगस्टर एक्ट के वांछित अभियुक्त (गैंग सदस्य) को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त एक संगठित वाहन चोर गिरोह का सक्रिय सदस्य है, जो अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था जिसके सम्बन्ध में थाना कमासिन में गैंगस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया था और वांछित चल रहा था जिसे थाना कमासिन पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त को उसके घर थाना कमासिन क्षेत्र के अमलोखर से से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. शैलेश उर्फ सूरज पुत्र विष्णुदत्त निवासी अमलोखर थाना कमासिन जनपद बांदा।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग अभियुक्त शैलेश उर्फ सूरज उपर्युक्त-

1. **मु0अ0सं0 28/20,** धारा **379 भादवि** थाना कमासिन जनपद बांदा।
2. **मु0अ0सं0 22/24,** धारा **379/411 भादवि** थाना जीआरपी कर्वी जनपद चित्रकूट।
3. **मु0अ0सं0 29/24**, धारा **303(2)/317(2)/3(5) बीएनएस** थाना जीआरपी कर्वी जनपद चित्रकूट।
4. **मु0अ0सं0 31/24**, धारा **303(2)/317(2)/3(5) बीएनएस** थाना जीआरपी कर्वी जनपद चित्रकूट।
5. **मु0अ0सं0 161/24**, धारा **317(2)/318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस** थाना कमासिन जनपद बांदा।
6. मु0अ0सं0 70/26 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना कमासिन जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. उ0नि0 श्री अनिल कुमार साहू
2. कां0 अंकित यादव